न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
106 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015	01.12.2015	21.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1—खाद्य कारोबारकर्ता श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री प्रहलाद चन्द जैन जाति महाजन निवासी 4—बी, शास्त्री नगर टोंक जिला टोंक मैसर्स मनीषा ट्रेडर्स मोतीबाग रोड वार्ड नं. 22 जिला टोंक

2—मैसर्स मनीषा ट्रेडर्स मोतीबाग रोड वार्ड नं. 22 जिला टोंक

3—नॉमिनी श्री गिरीशा नीमा मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी—24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी—स्कीम जयपुर

4—मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी—24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी—स्कीम जयपुर

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) एण्ड दण्डनीय धारा 52 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार उप.।

2—अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनु. ।

:—निर्णय—: **दिनांक 21.07.2022**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.06.2015 को समय 05.30 पीएम पर मैसर्स मनीषा ट्रेडर्स मोतीबाग रोड वार्ड नं. 22 जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री प्रहलाद चन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनिल कुमार जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में कागज के 10 कार्टूनों में 140 ग्राम पैक के लगभग 480 पैकेट पैक्ड अवस्था में **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अनिल कुमार जैन को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर. एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री अनिल कुमार जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थं सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर ए.आर. 06 एवं पैकिंग की दिनांक 11.05.2015 थी, को वास्त मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 140 ग्राम के 16 पैकेट खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** के 16 पैकेट प्रत्येक 140 ग्राम को चार–चार पैकेट के बराबर–बराबर चार भाग तैयार कर एवं चारों नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1045 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता श्री अनिल कुमार जैन तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1045 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर मुख्य खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

श्री अनिल कुमार जैन पुत्र श्री प्रहलाद चन्द जैन मैसर्स मनीषा ट्रेडर्स मोतीबाग रोड वार्ड नं. 22 जिला टोंक ने बतौर वारन्टी व निर्माता मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी–24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी–स्कीम जयपुर का खरीद बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स आई.टी.सी. लिमिटेड विरजिनिया हाउस 37, जे.एल. नेहरू रोड कोलकाता जयपुर ब्रांच आई.टी.सी. लिमिटेड डी–24 ऑफिस नं. 201 दुर्लभ चेम्बर पृथ्वीराज रोड सी–स्कीम जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म का खाद्य अनुज्ञा पत्र, वैट रजि. फार्म नं. 3 एवं फार्म नं. 9 प्रस्तुत कर नॉमिनी श्री गिरीशा नीमा का होना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए. / 15 / 3041 दिनांक 27.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोट स. एल.एस. / 507 / एक्ट / 2015 / 514 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप**

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

(Mis- Branded) स्तर का होना पाया जाने के कारण विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नूर अहमद एडवोकेट ने वकालतनामा मय जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा कोई बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए। अतः पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)**स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगणको भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब व बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **नूडल्स विथ मसाला मिक्स (प्रोपरायटरी फूड यीप्पी नूडल्स सनफीस्ट ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 90,000/–(अक्षरे नब्बे हजार रू0) तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 2,40,000/–(अक्षरे दो लाख चालीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 21.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0